

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

{विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी}
मंगलवार, 2 फरवरी, 1999 / माघ 13, 1920 {शक}

संख्या : 10

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 1.2.99 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल को उनके अन्य समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रथम बैरिक पुलिस धाना संसद मार्ग के सामने से पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 31.1.99 को अपराह्न 2.45 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उती दिन अर्थात् दिनांक 31.1.99 को अपराह्न 3.00 बजे, पुलिस धाना संसद मार्ग से रिहा कर दिया गया।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART - II

(GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE & OTHER MATTERS)
Tuesday, February 02, 1999/Magh 13, 1920 (Saka)

No. 10

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi on 1.2.1999 :-

" I have the honour to inform you that Sh. Shoaib Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the lawful direction of police at 1st barricade in front of police station Parliament Street, New Delhi at 2.45 PM on 31.1.99.

He was released alongwith his supporters at 3.00 PM from Police Station, Parliament Street, the same day i.e. on 31.1.99.

P.N. GUPTA
SECRETARY